

Municipal Corporation Bhilai


NIT

कार्य का नाम - जोन 01, 02 एवं 03 में 01 वर्ष के लिए टैंट इत्यादि की व्यवस्था का कार्य।

Sno.	Name of work	Unit	Qty	Rate	Amount
1	सीलिंग पंडाल	वर्ग फूट	15000		
2	वाटरप्रूफ सिलिंग पंडाल	वर्ग फूट	1000		
3	कारपेट चटाई	वर्ग फूट	100000		
4	साइडिंग	वर्ग फूट	10000		
5	रेट्ज (किसी भी ऊचाई का)	वर्ग फूट	2000		
6	रेट्ज फ्लावर डेकोरेशन 2' चौड़ा सिजनल एवं आर्टिफिशियल	र.फीट	1500		
7	रुई गद्दा 3'x6' (चादर सहित)	नग	300		
8	फोमगद्दा 3'x6' (चादर सहित)	नग	300		
9	टेबल 2'X4' चादर / प्लास्टिक कवर सहित	नग	300		
10	टेबल साइटिंग चौतरफा	नग	300		
11	चादर सफेद 3'x6'	नग	300		
12	चादर रंगीन 3'x6'	नग	300		
13	दरी 9'x12'	नग	300		
14	गलीचा 3'x6'	नग	200		
15	सोफासेट सिंगल 1 सीटर	नग	200		
16	सोफासेट डबल 2 सीटर	नग	200		
17	सोफासेट 3 सीट	नग	200		
18	सेन्ट्रल टेबल 2'X3'	नग	25		
19	तख्त 3'X6'	नग	100		
20	फाइबर चेयर	नग	15000		
21	फाइबर चेयर कवर	नग	10000		
22	स्टील चेयर कवर सहित	नग	4000		
23	लेक्चर रेट्ज	नग	25		
24	रेट्ज सीढ़ी	नग	25		
25	रेट्ज पंखा (सांउडलेस)	नग	500		
26	वेरीगेटिंग	र.फीट	5000		
27	दीपदान पांच बत्ती	नग	10		
28	फायबर कुलर बड़ा	नग	25		
29	स्टील कुलर छोटा	नग	50		
30	गेट (सिम्पल 1 खंबा)	नग	15		
31	VIP गेट 8 खंबा	नग	15		

3	नेशनल हाईवे गेट	नग	25		
33	स्टैंड पंखा साधारण	नग	30		
34	डीजल जनरेटर सेट 10 KVA	नग	25		
35	डीजल जनरेटर सेट 125 KVA	नग	4		
36	कारपेट कपड़ा 5'x50'	वर्ग फुट	20000		
37	LED light white 150 watt	नग	175		
38	LED light white 400 watt	नग	30		
39	झूमर लाइट 05 बल्ब सहित	नग	15		
40	2 माइक सेट, 2 बाक्स एवं एक कार्डलैस एम्पलीफायर बैटरी सहित	नग	10		
41	2 माइक सेट, 2 बाक्स, 2 मानिटर, 2 एम्पलीफायर एवं 4 कार्डलैस + 2 चोंगा बैटरी सहित	नग	6		
42	2 माइक सेट, 2 बाक्स, 2 मानिटर, 2 एम्पलीफायर एवं 2 कार्डलैस, 2 चोंगा बैटरी सहित	नग	8		
43	माइक सेट (सांस्कृतिक कार्यक्रम) 3 वे सिस्टम सिंगल बेस, रिंगल सिस्टम सहित + बैटरी एवं कार्डलैस सहित	नग	8		
44	माइक सेट (सांस्कृतिक कार्यक्रम) 3 वे डबल बेस, टॉप मानिटर, मिक्सर बैटरी कार्डलैस माइक एवं अन्य सहयोगी समाग्री	नग	4		
45	सी.एम. कार्यक्रम सांस्कृतिक मंच एवं मेन मंच में पी.ए. सिस्टम तथा 3 वे एसी / डी.सी आटो चैंज एवं अन्य सहयोगी समाग्री	नग	5		

सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई


उच्च अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

निगम क्षेत्र में एक वर्ष के लिए टेन्ट इत्यादि की व्यवस्था

// नियम एवं शर्ते //

1. ऑनलाईन के माध्यम से स्थानीय शमियाना व्यवसायी से निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. शमियाना व्यवसायी का वाणिज्यकर निभाग में जी.एस.टी का जीवित पंजीयन एवं आयकर पंजीयन होना आवश्यक है, का प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई एवं संबंधित शमियाना व्यवसायी के नाम से रांयुक्त एफ.डी.आर लिफाफा के साथ प्रत्युत्त करना होगा।
4. टेन्ट हाउस प्रतिष्ठान के मालिकाना हक तथा लाईसेंस की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
5. सर्वत निविदाए स्वीकार नहीं होगी।
6. दरें समस्त कर सहित देवे।
7. दरें एक वर्ष तक वैध रहेगा एवं आवश्यकतानुसार समयवृद्धि की जा सकेगी।
8. बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार निगम आयुक्त के पास सुरक्षित रहेगा।
9. सामग्री की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
10. कार्य नगर पालिक निगम भिलाई के निर्देशानुसार एवं समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा।
11. सामग्री प्रदाय कार्य में वाहन में लगे ड्राइवर/कर्मचारी अनुशासन बनाये रखेंगे तथा किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त क्षतिपूर्ति निविदादाता एजेंसी को करना होगा। समस्त कर्मचारी कुशल होना आवश्यक है। साथ ही कार्य व्यवस्था अथवा कार्यक्रम के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति/इलाज इत्यादि समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। अपने कर्मचारियों के रखने एवं खाने की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
12. अरथाती विद्युत संयोजन की आवश्यकता होने पर विद्युत मण्डल/बी.एस.पी से अरथाती मीटर लेने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी एवं विद्युत देयक ठेकेदार को विद्युत स्वयं जमा करना होगा। इस हेतु पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. कार्य में यदि किसी भी तरह का अरथाती वायरिंग, बोर्ड, केबल तार, इत्यादि खीचने की आवश्यकता होने पर समस्त सामग्री एवं लेवर सहित कार्य एजेंसी को करना होगा। इसके लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। किसी प्रकार की जनधन हानि होने की रिस्ति में एजेंसी की जवाबदारी होगी।
14. सामग्री की सुरक्षा की संपूर्ण जवाबदारी एजेंसी की होगी। खो जाने, टूट जाने पर किसी भी प्रकार की जवाबदारी निगम की नहीं होगी।
15. सामग्री कार्य स्थल पर समय पर पहुंचाना, व्यवरिधित करना, देखरेख करना कार्य समाप्ति उपरांत ले जाना, इसकी भी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। सामग्रियों का परिवहन कार्य एजेंसी द्वारा स्वयं करना होगा परिवहन कार्य पर होने वाला व्यय निविदा दर में सम्मिलित करना होगा। पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
16. अपनी सामग्री की सुरक्षा के लिए अग्रिम उपकरण, अन्य सुरक्षा उपकरण कार्य स्थल पर रखने के समर्त जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
17. कार्य समयानुसार नहीं किये जाने पर अथवा कार्यक्रम के दौरान सामग्री में खराबी आने पर तत्काल बदलने की व्यवस्था रखना होगा। अन्यथा उस सामग्री का भुगतान नहीं किया जावेगा।
18. कार्य की आवश्यकता के अनुसार कई कार्यक्रम तत्काल कराया जाना होता है ऐसी रिस्ति में 02 घंटे के अंदर कार्य प्रारंभ करना एवं कार्यक्रम प्रारंभ के 02 घंटे पूर्व कार्य पूर्ण कर सौपना होगा नहीं करने की रिस्ति में धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी।
19. शासकीय कार्य करने का अनुभव लगाना होगा।
20. स्वीकृत एक स्थान/एक दिन का होगा, पहले दिवस पर 100% दूसरे दिवस में 75% तीसरे दिवस में 50% चौथे दिवस से पंद्रह दिवस तक 25% सौलहवे दिन से कार्य समाप्ति तक 15% का भुगतान किया जाएगा।
21. व्यवस्था का भुगतान मात्र कार्य दिवस का होगा अन्य दिवस का नहीं।
22. कार्य क्षेत्र पूरा निगम क्षेत्र होगा।
23. किसी भी विवाद की रिस्ति में नगर पालिक निगम आयुक्त का निर्णय मान्य एवं अंतिम होगा।

सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

Bent
उपअभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई